न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज०)

केस नंबर 35/2024–25 तारीख दायर :–18.10.2023 निर्णय की तिथिः–23.08.2024

पटवारी हल्का मोतीवाड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

..........................प्रार्थी

बनाम

1. अनोखी पत्नी खैराती जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर।
2. रघुवीर पुत्र खैराती जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर।
3. रमेथ पुत्र रघुवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ अलवर।

..........................अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू० राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोतीवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम मोतीवाड़ के आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.14 हैक्ट० किस्म चारागाह के भाग 0.01 हेक्ट० पर ट्यूबवेल लगाकर व 0.13 हेक्ट० पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने पर अनोखी पत्नि खैराती, रघुवीर पुत्र खैराती, रमेथ पुत्र रघुवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। गैरसायलान/अप्रार्थीगण उपस्थित रहकर नोटिस जवाब एंव दस्तावेजात पेश किया गया। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। नोटिस जवाब का अवलोकन एंव मनन किया गया जिसमें अप्रार्थीगणों द्वारा चारागाह भूमि का नियमन किये जाने का निवेदन किया गया है। संलग्न दस्तावेज में पटटे की अपठनीय छायाप्रति पेश की है एंव न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अलवर के यहा वाद संख्या 42/2001 उनवान खैराती वगै० बनाम तहसीलदार राजगढ़ आर.टी. एक्ट की धारा 212 में पारित निर्णय दिनांक 20. 05.2002 कों प्रकरण खारिज किया गया है।

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, राजस्थान अजमेर के यहा प्रकरण संख्या निगरानी/टीए/64/2002 /2846/अलवर उनवान भौरेलाल बनाम खैराती वगै० में निर्णय दिनांक 08. 06.2006 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि "अप्रार्थीगणो को जो भूमि दिनांक 11.04.1979 को आवंटित की गयी थी। वह भूमि चारागाह की है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार चारागाह भूमि का आवंटन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है। 1982 आरआरडी पेज न० 70 का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कहा गया कि चारागाह की भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध ही नहीं मानी गयी है। पूर्व के खसरा नम्बर 206 व 207 राजस्व रिकार्ड के अनुसार चारागाह दर्ज है। तथा सम्वत 2053 से 2056 की जमाबन्दी जमाबन्दी के अनुसार जो नये खसरा नम्बर 331, 333 व 334 बनाये गये हैं वे भी चारागाह के रूप में दर्ज है। 1998 आरआरडी पेज 194 के अनुसार चारागाह भूमि के सम्बंध में टाईटल व अधिकारों का सृजन ही नहीं हो सकता है का हवाला देते हुए निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की गई है।"

चारागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 उपधारा (1) के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–7) के पत्रांक प.3 (28) राज–7/2022 जयपुर दिनांक 21.03.2022 के आदेथ संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर डी.वी. सिविल रिट (पीआईएल) संख्या 326/2022 श्री राजस्थान गौ सेवा समिति (पंजीकृत संख्या 320/2014–15) जरिये महामंत्री श्री रघुनाथ सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15. 03.2022 राजस्व रिकार्ड में चारागाह/गोचर के रूप में भूमि रिकार्ड की स्थिति को बदलने से रोकने के आदेश पारित किये गये है।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 66 प२ चा.पै. 217/-
राशि कायम किये गये।
स. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

अर्थात "In the meantime, the respondents are restrained from regularizing/ altering the status of lands recorded as "gochar" in the revenue record." के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों एंव निर्देथों का गहन अध्ययन किया गया, चारागाह भूमि प्रतिबंन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण सामान्य जन लोगों के पशुधन एव वन्य जीवों के चरने एंव उठने–बैठने के उपयोग में लिया जाता है।

अतः अप्रार्थीगणों को सुनवाई का पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद साक्ष्य–सबूत पेश करने में असमर्थ रहा। चारागाह भूमि का नियमितिकरण अथवा आवंटन प्रतिबंधित किया गया है। अप्रार्थीगण की ग्राम मोतीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.14 हेक्ट० चारगाह के भाग 0.01 हेक्ट० पर ट्यूबवेल एंव 0.13 हेक्ट० पर जोत लगाकर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू०अ०निरीक्षक नीमला व पटवारी हल्का मोतीवाड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2080 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम मोतीवाड़ा की चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेथ है कि:–

अतिक्रमी अनोखी पत्नि खैराती, रघुवीर पुत्र खैराती, रमेश पुत्र रघुवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम मोतीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.14 हेक्ट० चारागाह से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 4.34 की 50 गुणा में मु० ₹217.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों नीमला एंव पटवारी हल्का नीमला को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 23.08.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(छोटेलाल मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़(अलवर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)